दिनांक- 10.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 697/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 10.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 10.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 698/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा ARTO व DIOS के साथ स्कूली वाहनों की वृहद चेकिंग, विद्यालयों का भ्रमण कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोबा पुलिस द्वारा जनपद में छात्र-छात्राओं की सुरक्षित यात्रा एवं स्कूली वाहनों के संचालन में निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 10.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड द्वारा ARTO एवं DIOS महोबा के साथ जनपद में बच्चों को विद्यालय तक लाने एवं विद्यालय से घर ले जाने वाले स्कूली वाहनों की वृहद स्तर पर चेकिंग की गयी।

संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान स्कूली बसों, वैन एवं बच्चों के आवागमन में प्रयुक्त अन्य वाहनों को रोककर उनके आवश्यक अभिलेखों, वाहन की फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस सहित वाहन में उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि स्कूली बच्चों के आवागमन में प्रयुक्त वाहनों का संचालन निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जा रहा है अथवा नहीं।

चेकिंग के दौरान वाहन चालकों एवं विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने में प्रयुक्त वाहनों का संचालन पूर्ण सावधानी एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाए। वाहन चालक द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन में न बैठाया जाए तथा वाहन की नियमित रूप से जांच एवं आवश्यक रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए, जिससे बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो।

इसके अतिरिक्त क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड द्वारा ARTO एवं DIOS के साथ जनपद के विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण कर विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। विद्यालय प्रबंधन एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को स्कूली वाहनों के संचालन, वाहन चालकों की जिम्मेदारी तथा बच्चों के सुरक्षित आवागमन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि बच्चों को लाने एवं ले जाने वाले वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का पालन कराया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा यह अभियान छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे भी निरन्तर जारी रखा जाएगा। स्कूली वाहनों के संचालन में निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस, परिवहन विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

उक्त कार्यवाही के दौरान प्रभारी यातायात सहित सम्बन्धित पुलिस एवं विभागीय अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

दिनांक- 10.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 699/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्रों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम के व0उ0नि0 राधेश्याम सिंह, उ0नि0 रामरक्षा, का0 भरत सिंह एवं का0 अमर द्विवेदी द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 10.10.2026 को अकौनी तिराहा थाना अजनर जनपद महोबा से 01 नफर अभियुक्त नरेन्द्र राजपूत पुत्र जाहर सिंह, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम मंगरौल कला थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना अजनर पर मु0अ0सं0 168/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

नरेन्द्र राजपूत पुत्र जाहर सिंह, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम मंगरौल कला थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

बरामदगी-

एक अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 राधेश्याम सिंह, थाना अजनर जनपद महोबा
2. उ0नि0 रामरक्षा, थाना अजनर जनपद महोबा
3. का0 भरत सिंह, थाना अजनर जनपद महोबा
4. का0 अमर द्विवेदी, थाना अजनर जनपद महोबा

दिनांक- 10.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 700/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने 01 किलो 135 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में गठित पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उ0नि0 सनय कुमार द्वारा मय हमराह पुलिस बल के मुखबिर की सूचना पर दिनांक 09.09.2026 छतरपुर रोड पुलिस लाइन महोबा तिराहा के आगे रेलवे पुल के पास, थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा से 01 नफर अभियुक्त रामकिशोर प्रजापति पुत्र हल्के उम्र करीब 42 वर्ष निवासी राजीवनगर पांच पहाड़ी के पास थाना कबरई जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 135 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद किया गया। साथ ही एक स्कूटी/ट्राई साइकिल रजि0 नं0 UP 95 L 7473 को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 451/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.रामकिशोर प्रजापति पुत्र हल्के उम्र करीब 42 वर्ष निवासी राजीवनगर पांच पहाड़ी के पास थाना कबरई महोबा।

बरामदगी विवरण-

1. 01 किलो 135 ग्राम सूखा गांजा नाजायज।
2. एक स्कूटी/ट्राई साइकिल रजि0 नं0 UP 95 L 7473, चेचिस नं0 ME40507FHT333406, धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सनय कुमार
2. उ0नि0 अभिषेक कुमार
3. हे0का0 अजय कुमार

दिनांक- 10.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 702/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में जनपद महोबा में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब, जुआ, गांजा तथा अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.09.2026 को थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 आशीष यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त राजकुमार वर्मा पुत्र श्यामलाल उम्र 45 वर्ष निवासी मो0 किदवई नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा व स्थायी पता लौहा पहाड मोचीपुरा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा सम्बधित वारण्ट अ0सं0 3001/2010 धारा 279/338/304ए भादवि0 में मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को मो0 किदवई नगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजकुमार वर्मा पुत्र श्यामलाल उम्र 45 वर्ष निवासी मो0 किदवई नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा व स्थायी पता लौहा पहाड मोचीपुरा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 आशीष यादव

महोबा पुलिस

दिनांक- 10.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 703/26

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा अर्दली रूम में विवेचनाओं की गहन समीक्षा, अपराध नियंत्रण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु दिए सख्त निर्देश...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 10.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के साथ सर्किल चरखारी अन्तर्गत थाना चरखारी, श्रीनगर एवं खरेला में नियुक्त समस्त विवेचकों के साथ अर्दली रूम आयोजित किया गया।

अर्दली रूम के दौरान UP Police के SSO (Single Sign On) पोर्टल पर प्रदर्शित 60/90 दिवस से लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा करते हुए उनके त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए। साथ ही अन्य लंबित विवेचनाएं, शिकायती प्रार्थना पत्र, IGRS प्रकरण, पंचायतनामा जांच, गुमशुदा व्यक्तियों की खोज, अपहृताओं की बरामदगी, निरोधात्मक कार्यवाही, न्यायालय से निर्गत NBW की तामील, ई-समन, यक्ष ऐप, ई-साक्ष्य, NCRP पोर्टल एवं विभिन्न अभियानों की प्रगति का बिंदुवार परीक्षण किया गया।

इस दौरान उपस्थित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं समस्त विवेचनाधिकारियों से उनके प्रकरणों के संबंध में बिंदुवार समीक्षा करते हुए निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विवेचक अपने-अपने प्रकरणों में गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करें तथा लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। साथ ही वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, NBW की शत-प्रतिशत तामील एवं जनसुनवाई से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना चरखारी क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई तथा व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना गया एवं उनके समाधान हेतु आश्वस्त किया गया।

दिनांक- 10.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 704/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर – थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई, गुमशुदा व्यक्ति को सकुशल बरामद कर परिजनों से मिलाया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा व्यक्ति को सकुशल बरामद किया गया।

श्रीमती अर्चना सिंह पत्नी निर्भय सिंह सेंगर, निवासी आलमपुरा, स्टेशन रोड, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीर देकर अपने पति निर्भय सिंह सेंगर के गुम हो जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी। उक्त सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुये थाना कोतवाली नगर में गुमशुदगी संख्या 51/2026 पंजीकृत की गयी।

गुमशुदा व्यक्ति की सकुशल बरामदगी हेतु थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए लगातार तलाश की गयी। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से किए गए प्रयासों के क्रम में गुमशुदा निर्भय सिंह सेंगर उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी रैपुराकला, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा को सकुशल बरामद कर लिया गया। बरामदगी के उपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी गयी।

गुमशुदा का विवरण-

निर्भय सिंह सेंगर उम्र करीब 40 वर्ष निवासी रैपुराकला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 गौरव चौबे थाना कोतवाली नगर महोबा

2.उ0नि0 विवेक यादव मय सर्विलांस टीम

दिनांक- 10.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 705/26

महोबा पुलिस

आगामी गणेश चतुर्थी के दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर, चरखारी एवं श्रीनगर में पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न, आयोजकों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आगामी गणेश चतुर्थी पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड द्वारा थाना कोतवाली नगर तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे द्वारा थाना चरखारी एवं थाना श्रीनगर में गणेश चतुर्थी के आयोजकों के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान गणेश चतुर्थी पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराए जाने हेतु आयोजकों को शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए उनका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

आयोजकों से अपील की गई कि मूर्ति स्थापना, पूजा-पाठ एवं विसर्जन के दौरान निर्धारित मार्ग एवं समय का पालन किया जाए तथा किसी भी प्रकार की नई परंपरा प्रारम्भ न की जाए, जिससे शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित हो।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करने तथा कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त स्वयंसेवकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

साथ ही सभी से आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक समरसता बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा भ्रामक सूचना पर ध्यान न देने की अपील की गई। सोशल मीडिया पर भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट अथवा संदेश प्रसारित न करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना देने हेतु बताया गया।

पुलिस अधिकारियों द्वारा आयोजकों को आश्वस्त किया गया कि गणेश चतुर्थी पर्व के दौरान सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे।

इस अवसर पर संबंधित थाना प्रभारी, पुलिस अधिकारी/कर्मचारी एवं गणेश चतुर्थी आयोजन से जुड़े आयोजकगण मौजूद रहे।

पुलिस द्वारा आगामी गणेश चतुर्थी पर्व के दृष्टिगत जनपद में सतर्कता एवं सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने हेतु आवश्यक पुलिस प्रबंध किए जा रहे हैं।